FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0064 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 30/04/2024 18:47 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 18/04/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/04/2024

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:40 बजे **Time To (समय तक):** 14:36 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/04/2024 **Time (समय):** 17:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 30/04/2024 18:47:29 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 260 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** UNDER FLYOVER BORKHER KOTA

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHURI

(b) **Husband's Name (पति का नाम):** KAUSHAL RAJ

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1989 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	M 80, INDIRA GANDHI NAGAR, VIGYAN NAGAR, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	M 80, INDIRA GANDHI NAGAR, VIGYAN NAGAR, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-7357309936

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VISHAL KUMAR		पिता:RAMSAWROP	1. KOTDI POLICE CHOKI KE PAS,KOTA,KOTA CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	Fरिश्वती राशि चार हजार रूपये	4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात इस प्रकार है दिनांक 18.04.2024 समय 1.40 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादिया श्रीमती भूरी पत्नि स्व. श्री कौशलराज उम्र 35 साल निवासी- एम-80 इन्द्रा गांधी नगर, विज्ञान नगर कोटा एवं उसके साथ आये सहपरिवादी श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रामदयाल उम्र 40 निवासी- खेडली फाटक, कोटा मोबाईल नम्बर- 7357309936 से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादिया के हमराह आये श्री दीपक द्वारा हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देष दिये। समय 1.50 पी.एम. पर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देषानुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस, परिवादिया श्रीमती भूरी एवं श्री दीपक कुमार को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे आया तथा परिवादिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र इस आशय का है कि मैं दीपक कुमार, खेडली फाटक हरिजन बस्ती कोटा का रहने वाला हूं। मेरी परीचित श्रीमती भूरी वर्ष 2018 सें नगर निगम, दक्षिण कोटा में सफाई कर्मी के रूप में भर्ती हुई थी तब सें ही सफाईकर्मी का कार्य कर रही है तथा भूरी के घर सें उसको सफाई कार्य हेतु लाने ले जाने वाला कोई नहीं हैं तो मैं ही इसको सुबह शाम इसके कार्यस्थल पर लेकर जाता हॅू। श्रीमती भूरी की ड्यूटि वार्ड नम्बर 17 सेक्टर नं. 9 रायपुरा कोटा में करीबन 3 वर्ष सें लगी हुई हैं। सफाई व्यवस्था इत्यादि की निगरानी के लिए निगम से जमादार विशाल चौहान को लगा रखा है। कुछ महीनो से जमादार कुछ सफाईकर्मियों से सफाई के लिए उपस्थित नहीं होने पर उपस्थिती देने के बदले 8 हजार रू. महीने के लेने लग गया तथा सफाईकर्मी उनकी पूरी उपस्थिती बताकर तनख्वाह उठाने लग गये। श्रीमती भूरी की पिछले कुछ दिनों तबियत खराब होने के कारण सफाई कार्य के लिए उपस्थित नहीं हो पाई। तबियत खराब होने एवं मेडीकल लगाने की सूचना विशाल चौहान को दी गई, जब भूरी वापिस उपस्थित हुई तथा जमादार विशाल को मेडीकल भरने के लिए कहा तो जमादार विशाल ने कहा कि कोई मेडीकल नहीं भरेगा। तुम जितने दिन अनुपस्थित हुई हो उतने दिन की गैर हाजिरी लगेगी यदि इस अवधि का प्रतिदिन के हिसाब सें 300 रू. मुझ दे दो तो मैं तुम्हारी उपस्थिती दिखा दूंगा, नहीं तो तुम्हारी अनुपस्थिती दिखाकर तनख्वाह कटवा दूंगा। श्रीमती भूरी अपनी अनुपस्थिती का मेडीकल लेना चाहती हैं तथा अपनी उपस्थिती दिखाने के लिए रिश्वत नहीं देना चाहती हैं। जमादार विशाल को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहती है। जमादार पैसों के संबंध में श्रीमती भूरी घूंघट में रहने सें बात नहीं करके मुझसें ही श्रीमती भूरी की उपस्थिती दिखाने के लिए बात करता है। हमारा जमादार के साथ कोई पुराना लेनदेन बकाया नहीं हैं ना ही कोई आपसी रंजिश है। श्रीमती भूरी मेरे साथ उपस्थित आई हैं ये ज्यादा पढी लिखी नहीं होने से ये प्रार्थना पत्र मैने मेरी हस्तलेख सें लिखा है परिवादिया द्वारा पेष प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री नरेन्द्र सिंह, हैड कानि नं. 140 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादिया श्रीमती भूरी व श्री दीपक कुमार से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा श्री दीपक कुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात दीपक कुमार ने बताया कि जमादार श्री विशाल चौहान कल सुबह 6.15 बजे मिलेगा अतः मैं सत्यापन के संबंध में उससें मिलने कल सुबह ही जाऊंगा, इस पर श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि. 140 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर हिदायत की कि तुम ये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के लेकर श्री दीपक जी सें सम्पर्क कर सुबह इनसें मिलना व इनको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत की गई। समय 02.10 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भूरी एवं श्री दीपक कुमार को कल श्री नरेन्द्र सिंह सें सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही करने व गोपनीयता की आवश्यक हिदायत कर अपने आवास के लिए रवाना किया गया। दिनांक 19.04.2024 समय 8.00 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आज सुबह डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर श्री दीपक सें मोबाईल पर हुई वार्तानुसार बारां रोड 80 फीट चौराहे पर मिला जंहा श्रीमती भूरी को लेकर दीपक मोटरसाईकिल सहित खडे हुये थे तथा वंहा से श्री दीपक ने उनके साथी को फोन करके श्री विशाल चौहान के आने के संबंध मे पूछा तो उसने बताया कि -आज विशाल नहीं आया हैं तथा किसी ओर ने हाजरी लेकर सबकी ड्यूटि लगा दी हैं तुम भी ड्यूटि पर पहुंचो। इस पर परिवादी ने मुझे बताया कि विशाल चौहान के

भाई की शादी सामुहिक विवाह सम्मेलन मे हैं तथा दिनांक 22.04.2024 को खाने का कार्यक्रम हैं जिसमें सभी स्टाफ को कार्ड भिजवाया हैं। अतः अब विशाल चौहान सें शादी सें फ्री होने के बाद ही इस संबंध में बात हो पायेगी। मैं आपको फोन करके बता दूंगा। इस पर मैं वंहा सें रवाना होकर कार्यालय हाजा आया हूं। श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड प्राप्त किया। दिनांक 23.04.2024 समय 1.30 पी.एम. पर परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि कल जमादार विशाल चौहान के भाई की शादी का कार्यक्रम खत्म हो गया हैं तथा विशाल जमादार आज दिन में 2 बजे के बाद ड्यूटि पर आने की पूर्ण संभावना हैं, इस पर मालखाने सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मैमेारी कार्ड के लेकर श्री दीपक कुमार को दिया गया तथा उसे चलाने की विधि पुनः समझाई गई । निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 को परिवादिया एवं सहपरिवादी के हमराह अपने निजी वाहन सें रवाना किया गया। समय 3.30 पी.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं यंहा सें रवाना होकर परिवादिया एवं सहपरिवादी के पीछे-पीछे बोरखेडा पुलिया के नीचे पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण की तरफ जाने वाले रास्ते के पास पुलिया के नीचे पहुंचा जंहा दीपक कुमार व भूरी अपनी मोटरसाइकिल खडी करके अन्य व्यक्तियों के साथ खडे हुये तथा पुलिया के उससे आगे वाले पिल्लर के पास जाकर मैं भी खडा हो गया। श्री दीपक कुमार कई देर तक पुलिया के नीचे खडा रहा तथा कुछ समय बाद वंहा कुछ आदमी व औरतें आई तथा करीबन 10-12 मिनट बाद वंहा सें परिवादिया भूरी को लेकर दीपक कुमार व सभी व्यक्ति अपने- अपने कार्य के लिए चले गये मेरे पास श्री दीपक कुमार ने फोन करके बताया कि मैं 80 फीट रोड चौराहे पर खडा हूं। आज भी विशाल चौहान नहीं आया तथा किसी अन्य व्यक्ति ने हाजरी लगाकर सभी को अपने-अपने काम पर भेज दिया हैं। इस पर मैं पुलिया के नीचे से रवाना होकर दीपक कुमार के पास पहुंचा तथा उससें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास रखा। श्री दीपक कुमार ने बताया कि विशाल आज तो नहीं आया लेकिन कल जरूर आयेगा इसलिए कल सुबह 6 बजे आप मुझे यंही पर मिलना। श्री दीपक कुमार को वंही पर छोडकर मैं वंहा सें रवाना होकर कार्यालय हाजा आया हूं। इस पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. को परिवादी के कहेनुसार कल दिनांक 24.04.2024 को सत्यापन की कार्यवाही के लिए मुनासिब हिदायत दी गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया। दिनांक 24.04.2024 समय 8.45 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आज सुबह डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड लेकर सहपरिवादी श्री दीपक सें बारां रोड 80 फीट चौराहे पर मिला, जंहा पर श्रीमती भूरी व श्री दीपक कुमार मोटरसाईकिल सहित उपस्थित मिले। सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर परिवादिया के हमराह सत्यापन के लिए रवाना किया, मैं भी उनके पीछे-पीछे गया बोरखेडा पुलिया के नीचे पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण की तरफ जाने वाले रास्ते के पास पुलिया के नीचे पहुंचा जंहा दीपक कुमार व श्रीमती भूरी एवं अन्य व्यक्तियों को खडे हुये देखा तथा पुलिया के उससे आगे वाले पिल्लर के पास जाकर मैं भी खडा हो गया। श्री दीपक कुमार कई देर तक पुलिया के नीचे खडा रहा तथा कुछ समय बाद वंहा कुछ आदमी व औरतें आई तथा करीबन 40-45 मिनट बाद वंहा सें परिवादिया श्रीमती भूरी को लेकर दीपक कुमार व सभी व्यक्ति अपने- अपने कार्य के लिए चले गये मेरे पास श्री दीपक कुमार ने फोन करके बताया कि मैं 80 फीट रोड चौराहे पर खडा हूं। इस पर मैं पुलिया के नीचे से रवाना होकर दीपक कुमार के पास पहुंचा तथा उससें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर अपने पास रखा। श्री दीपक कुमार ने बताया कि विशाल सें मेरी रिश्वत की राशि के संबंध में बात हो गई हैं तथा उसने बयालिस सौ रूपये देने के लिए बोला हैं, भूरी अभी सफाई कार्य कर रही हैं अतः मैं आपके पास 10.00ए.एम पर यंहा सें रवाना होकर आ जायेंगे। इस पर परिवादिया एवं सहपरिवादी को वंही पर छोडकर मैं वंहा सें रवाना होकर कार्यालय हाजा आया हूं। श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो श्री दीपक कुमार की विशाल चौहान सें वार्ता होना पाया गया हैं जिसमें श्री दीपक कुमार सें बयालिस सौ रू. की मांग होना पाया गया हैं किन्तु बकाया कार्य के संबंध में स्पष्ट वार्ता नहीं होने सें पुनः सत्यापन करवाया जायेगा। समय 10.00 ए.एम. पर श्री दीपक कुमार मय परिवादिया श्रीमती भूरी के हमराह उपस्थित आया। श्री दीपक कुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चलाकर सुनाया गया तो रिकॉर्ड वार्ता में सहपरिवादी ने अपनी व श्री विशाल चौहान की आवाज पहचानकर बताई। मन उप अधीक्षक पुलिस ने सहपरिवादी को बताया गया कि उक्त वार्ता में उसकी रिश्वत के संबंध में वार्ता स्पष्ट हैं किन्तु बकाया कार्य के संबध में वार्ता नहीं हुई हैं, इस पर श्री दीपक कुमार ने कहा कि मैं कल उससें फिर सें बात करके काम के संबंध में बात कर लूंगा। सहपरिवादी व श्रीमती भूरी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को मालखाने मे सुरक्षित रखवाया गया तथा श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. को कल दिनांक 25.04.2024 को सहपरिवादी सें सम्पर्क कर सत्यापन की कार्यवाही हेतु मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर सहपरिवादी सें मिलकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द करने व सत्यापन की निगरानी की हिदायत की गई। दिनांक 25.04.2024 समय 8.30 ए.एम. पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड. कानि. 140 कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं आज सुबह डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर श्री दीपक सें बारां रोड 80 फीट चौराहे पर मिला, जंहा पर श्रीमती भूरी व श्री दीपक कुमार मोटरसाईकिल सहित उपस्थित आये, श्री दीपक कुमार को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दोनों को सत्यापन के लिए रवाना किया, मैं भी

उनके पीछे-पीछे गया बोरखेडा पुलिया के नीचे पुलिस लाईन कोटा ग्रामीण की तरफ जाने वाले रास्ते के पास पुलिया के नीचे पहुंचा जंहा दीपक कुमार व श्रीमती भूरी एवं अन्य व्यक्तियों को खडे हुये देखा तथा नहर की पुलिया के पास जाकर मैं भी खडा हो सहपरिवादी की निगरानी करने लगा। श्री दीपक कुमार कई देर तक पुलिया के नीचे खडा रहा तथा कुछ समय बाद वंहा कुछ आदमी व औरतें आई तथा करीबन 20 मिनट बाद श्री दीपक कुमार को एक पतले दुबले आदमी सें बात करते हुये देखा तथा थोडी देर बाद वंहा सें परिवादिया भूरी को लेकर दीपक कुमार व सभी व्यक्ति अपने- अपने कार्य के लिए जाने लगे तो मैं भी अपने वाहन सें श्री दीपक कुमार की मोटर साईकिल के पीछे- पीछे गया। 80 फीट चौराहे पर जाकर दीपक कुमार ने अपनी मोटर साईकिल से श्रीमती भूरी को सफाई कार्य के लिए रवाना किया तथा मेरे पास आकर मुझे डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर सुपुर्द किया तथा बताया कि आज श्री विशाल चौहान सें मेरी कार्य व रिश्वत दोनों के संबंध में स्पष्ट बात हो गई है मैं आज उसको एक हजार रू. अभी देने तथा बाकी के पैसे एक दो दिन मे देने के लिए कहकर एक हजार रू. अपनी जेब सें निकाले तो उसने पूरे पैसे एक साथ देने के बोला। मैं अभी यंहा सें भूरी की ड्यूटी पूरी होने पर करीबन 10.30 ए.एम. पर आपके कार्यालय में आता हूं। इस पर मैं श्री दीपक कुमार को वंही पर छोडकर वंहा सें रवाना होकर कार्यालय हाजा आया हूं। इस पर श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. सें डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को सुना गया तो श्री दीपक कुमार की विशाल चौहान सें वार्ता होना पाया गया हैं जिसमें श्री दीपक कुमार द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह को कहे गये कथनो की पुष्टि हुई है। फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई जावेगी। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को मालखाने में सुरक्षित रखा गया। समय 10.20 ए.एम. पर रिश्वत मांग सत्यापन से व कार्य के संबंध में वार्ता होना से परिवादिया श्रीमती भूरी एवं श्री दीपक कुमार के आने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी इसलिये की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहान तलब कर लाने हेतु एक तहरीर श्रीमान मुख्य वन संरक्षक, नयापुरा सिविल लाईन कोटा के नाम जारी कर श्री बृजराज सिंह कानि. 144 को रवाना किया गया। समय 10.50 ए.एम. पर श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144 मय दो कार्मिक श्री पंकज कुमार पुत्र श्री प्रहलाद जाति मेघवाल उम्र 31 साल निवासी- गोवर्धनपुरा पोस्ट नांता तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल- वन रक्षक, कार्यालय उप वन सरंक्षक, कोटा, मोबाईल नम्बर-8290911667 व श्री मोहन लाल मेहता पुत्र श्री हरिशंकर जाति किराड उम्र 35 साल निवासी- ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील सांगोद जिला कोटा ग्रामीण हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संक्षक कार्यालय कोटा, मोबाईल नम्बर- 9928043720 के उपस्थित आये तथा परिवदिया श्रीमती भूरी एवं श्री दीपक कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आये। समय 11.00 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार का स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल से आपसी परिचय करवाया तथा अब तक की गई कार्यवाही व होने वाली कार्यवाही सें अवगत कराया जाकर ट्रेप कार्यवाही में साथ रहने की अनुमति चाही तो उन्होने सहमति दी, जिस पर दोनेां गवाहान सें परिवादिया के प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया तथा प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के परिवादिया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवाये, परिवादिया तथा सहपरिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर को मालखाने सें निकलवाया जाकर उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो सहपरिवादी दीपक कुमार व आरोपी विशाल चौहान के मध्य 24.04.2024 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप मे श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादिया, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से सहपरिवादी दीपक कुमार ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री विशाल चौहान की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गया। समय 12.10 पी.एम.डिजीटल वॉईस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड दिनांक 25.04.2024 को सहपरिवादी दीपक कुमार व आरोपी विशाल चौहान के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि. 140 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादिया, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया, जिसमें रिकॉर्ड वार्ता मे से सहपरिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री विशाल चौहान की होना पहचान कर बताया। उक्त वार्ता की श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140 द्वारा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गया। समय 1.05 पी.एम. पर कार्यालय उप महानिरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो कोटा रेंज कोटा से श्री मुकेश कुमार हैड कानि. 85 कार्यालय हाजा तलविदा उपस्थित आया। श्री मुकेश कुमार है.कानि. का परिचय परिवादिया एवं सहपरिवादी एव स्वतंत्र गवाहान सें करवाया गया। इसके बाद समय 1.10 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल एवं परिवादिया के के समक्ष श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रामदयाल उम्र-40 साल निवासी- खेडली फाटक, कोटा मोबाईल नम्बर-7357309936 ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4 हजार रूपये निकालकर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है- क्र.स. नोट नोट का नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 ES 084148 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 AQ 445780 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 BW 009711 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 CM 982278 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 PF 538696 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AC 719518 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 PK 660856 8

पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 BK 373658 श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 85 के द्वारा मालखाने से फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फथीलीन पाउडर डलवाकर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉफ्थीलीन पाउडर भली भांती लगवाया गया। गवाह श्री पंकज कुमार सें श्री दीपक कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तू इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फथीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 85 सें सीधे ही सहपरिवादी दीपक कुमार की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा इस घोल में श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 85 के फिनॉल्फथीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फथीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। श्री दीपक कुमार को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्यक रूप सें हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब सें निकालकर उसे देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी को जरिये श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 85 से वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों के पाउडर लगाने में प्रयुक्त अखबार एवं प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री मुकेश कुमार हैड कानि. नं. 85 के दोनों हाथों को साबुन व पानी से अच्छी धुलवाकर उसको कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर श्री दीपक कुमार एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर देकर उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी के गले में धागे सें लटकाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी से होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। समय 02.00 पी.एम. पर सहपरिवादी श्री दीपक कुमार ने विशाल चौहान के ड्यूटी पर आने के बारे में मालुमात कर मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि आज विशाल चौहान ड्यूटि पर उपस्थित होगा या नहीं इसके बारे में मैने जानकारी की हैं तो आज उसके आने की पुख्ता जानकारी नहीं हैं, उसके उपस्थित आने पर मैं आपको बता दूंगा। सहपरिवादी की सूचना पर ट्रेप कार्यवाही आइन्दा की जानी हैं, अतः सहपरिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया। समय 02.15 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार सें सहपरिवादी की पेंट की जेब में रखे हुये फिनॉफ्थीलीन पाउडर लगे हुये नोट 4000 रू. को निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में रखवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया। सहपरिवादी को आईन्दा आने पर परिवादिया श्रीमती भूरी का अपनी अनुपस्थिती के दिनो का मेडीकल लेकर आने के लिए कहा गया तथा स्वतत्र गवाहान, परिवादिया एवं सहपरिवादी को हिदायत कर आईन्दा कार्यवाही के दिन उपस्थित आने के लिए अपने-अपने आवास के लिए रवाना किया गया। दिनांक 29.04.2024 को समय 10.30 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार कार्यालय हाजा उपस्थित आये तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को परिवादिया श्रीमती भूरी का मेडीकल पेश किया जिसका अवलोकन किया गया तो श्रीमती भूरी का रोग प्रमाण पत्र दिनांक 03.04.2024 से दो सप्ताह का विश्राम एवं आरोग्य प्रमाण पत्र दिनांक 17.04.2024 से है, जिसे शामिल फाईल किया गया। सहपरिवादी ने बताया कि आज सुबह जमादार विशाल चौहान मुझे मिला था उसने मुझे आज दिन मुझे 4000 रू. लेकर बुलाया है। इस पर कार्यवाही के लिए पूर्व सें पाबन्दशुदा गवाह श्री पंकज कुमार एवं श्री मोहन लाल को जरिये मोबाईल सूचित कर कार्यालय हाजा उपस्थित आने के लिए कहा गया। समय 12.10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार एवं श्री मोहन लाल कार्यालय हाजा उपस्थित आया। समय 1.30 पी.एम. पर मालखाने में सुरक्षित रखा हुआ डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड एवं सफेद लिफाफे में रखी हुई आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 4000 रू. को मालखाना प्रभारी से निकलवाया गया तथा स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार से रिश्वती राशि को सहपरिवादी श्री दीपक कुमार के पहने हुये पायजामे की दाहिनी जेब में रखवाया गया। सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बन्द करने की विधी पुनः समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सहपरिवादी के गले में एक धागे सें लटकाया गया तथा सहपरिवादी को हिदायत की गई की आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने पर अपने सिर पर हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने का इशारा करे। मालखाना प्रभारी, ट्रेप पार्टी सदस्य एवं स्वतंत्र गवाहान के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 2.00 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादिया एवं सहपरिवादी को स्वंय की मोटरसाईकिल सें तथा श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 को अपनी मोटरसाईकिल सें आगे-आगे रवाना किया तथा उनके पीछे-पीछे मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री बबलेश कानि. 261 मय सरकारी वाहन जीप मय चालक श्री तवंर सिंह के ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के बोरखेडा पुलिया के नीचे

जाने के लिए रवाना हुया। समय 2.20 पी.एम. पर परिवादिया एवं सहपरिवादी को स्वंय की मोटरसाईकिल सें तथा श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197 को अपनी मोटरसाईकिल सें तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री बबलेश कानि. 261 मय सरकारी वाहन जीप मय चालक श्री तवंर सिंह के ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व सरकारी लेपटोप मय प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स के बोरखेडा पुलिया के नीचे पहुंचे तथा सहपरिवादी श्री दीपक कुमार से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु करवाकर आरोपी से रिश्वत लेनदेन एवं वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया। मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते के अपनी व वाहनो की उपस्थिती छुपाते हुये बोरखेडा पुलिया के नीचे सहपरिवादी के पास बोरखेडा पुलिया के दूसरे पिल्लर के पीछे जो लगभग बीस मीटर की दूरी पर है, सहपरिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 02.36 पी.एम. पर रूबरू गवाहान के समक्ष सहपरिवादी श्री दीपक कुमार ने ग्रामीण पुलिस लाईन की तरफ जाने वाले रास्ते पर, बोरखेडा फ्लाई ऑवर के नीचे खडे हुये ने अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस दोनो स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल, ट्रेप पार्टी के सदस्य, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री बृजराज सिंह हैड कानि. 144, श्री अभिषेक चौधरी कानि. 197, श्री बबलेश कानि. 261 सहपरिवादी के पास पहुंचे। मन उप अधीक्षक पुलिस अनिष अहमद ने सहपरिवादी श्री दीपक कुमार से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। सहपरिवादी ने पास में खडे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर बताया कि ये ही विशाल कुमार, जमादार हैं जिसने श्रीमती भूरी सफाईकर्मी की गैर हाजिरी की मेडीकल नहीं लगाकर अनुपस्थिती की जगह उपस्थिती दिखाने की एवज में दौराने रिश्वत मागं सत्यापन वार्ता में प्रतिदिन के हिसाब सें 300 रू. प्रतिदिन के कुल 4200 रू. की मांग की तथा 4000 रू. देने के लिए कहा था, जो मुझसे अभी-अभी 4,000 रू. लिये हैं जो इन्होने अपने हाथ में लेकर गिनकर इनकी शर्ट की जेब में रख लिये है, इस पर पास खडे हुये जीन्स पेट व गहरे नीले रंग की शर्ट पहने हुये व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मंतव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार वार्ड नम्बर 17 नगर निगम कोटा दक्षिण, कोटा मोबाईल नम्बर- 9929717056 होना बताया, श्री विशाल कुमार से सहपरिवादी श्री दीपक कुमार से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बताया कि मैने दीपक को पांच हजार रू. उधार दिये थे जो इसने मुझे आज वापिस दिये है जो मैने इससे लेकर गिनकर शर्ट की जेब में रखे है। इस पर श्री दीपक कुमार ने विशाल कुमार की बात का खण्डन करते हुये कहा कि सर ये विशाल कुमार झूंठ बोल रहा है। श्रीमती भूरी की पिछले कुछ दिनों तबियत खराब होने के कारण सफाई कार्य के लिए नहीं गई थी तथा भूरी ने तबियत खराब होने एवं मेडीकल लगाने की सूचना इसको दे दी थी, जब भूरी वापिस उपस्थित हुई तथा इसको मेडीकल भरने के लिए कहा तो इसने कहा कि कोई मेडीकल नहीं भरेगा, तुम जितने दिन अनुपस्थित हुई हो उतने दिन की गैर हाजिरी लगेगी यदि इस अवधि का प्रतिदिन के हिसाब सें 300 रू. मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी उपस्थिती दिखा दूंगा, नहीं तो तुम्हारी अनुपस्थिती दिखाकर तनख्वाह कटवा दूंगा, इस कारण से भूरी ने एसीबी में शिकायत की तथा दिनांक 24 एवं 25.04.2024 को मै इससे बात करने आया तो इसने भूरी की मेडीकल नहीं लगाकर उपस्थिती दिखाने के बदले 4200 रू. की मांग की थी तथा बाद में 4000 रू. देने के लिए कहा था, इसके बाद आज अभी मैं इससे मिला तो इसने मुझसें 4000 रू. अपने हाथ सें लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में ले रख लिये तथा मैने इसको कहा था कि हारी बिमारी मे तो देख लिया करो तो ये मेरी तरफ देखकर हंसने लग गया। इस दौरान उक्त स्थल पर काफी भीडभाड हो गई इसलिए अग्रिम कार्यवाही हेतु सरकारी जीप मय चालक श्री तवंर सिंह के मय एसीबी जाब्ता मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो के श्री विशाल कुमार को बैठाया तथा श्री विशाल कुमार की मोटरसाईकिल पर रखे हुये श्री विशाल कुमार के बेग सहित मोटरसाईकिल को लेकर श्री बबलेश कानि. को पीछे-पीछे सी.ओ. कार्यालय बोरखेडा के लिए आने के लिये निर्देशित कर, रवाना होकर, सी.ओ. कार्यालय बोरखेडा पहुंचे। सी.ओ. कार्यालय बोरखेडा में सी.ओ. श्री योगेश शर्मा, सी.ओ. अपने चेम्बर में उपस्थित मिले जिनसें अग्रिम कार्यवाही किये जाने की अनुमति चाही गई तो उन्होने अपने कार्यालय के कार्यालय स्टाफ के कमरे मे कार्यवाही किये जाने की अनुमति प्रदान की जिस पर आरोपी श्री विशाल कुमार मय परिवादिया सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ता मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणो के कमरे में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। आरोपी विशाल कुमार ने सहपरिवादी दीपक कुमार से ली गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त कर अपनी शर्ट की जेब में रखना स्वीकार किया हैं, अतः आरोपी श्री विशाल कुमार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल से पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी विशाल कुमार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क आरएच 1, आरएच 2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर

सील चिट कर मार्क एलएच 1, एलएच 2 अंकित किया। काम मे लिये गये दोनों डिस्पोजल गिलासों को श्री बबलेश कुमार कानि. 261 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री मोहन लाल सें आरोपी विशाल कुमार की पहनी हुई शर्ट की जेब की तलाशी लिवाई गई तो उसकी जेब में पांच-पांच सौ रूपये के 8 नोट कुल 4,000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं- क्र.स नोट नोट का नम्बर 1 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 ES 084148 2 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 AQ 445780 3 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 BW 009711 4 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 CM 982278 5 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 PF 538696 6 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AC 719518 7 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 PK 660856 8 पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 BK 373658 उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। आरोपी विशाल कुमार ने सहपरिवादी सें ली गई रिश्वती राशि 4,000 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त कर अपनी शर्ट की जेब सें बरामद होने के कारण, आरोपी श्री विशाल कुमार की पहनी हुई शर्ट की जेब की धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, कमरे में रखी हुई पीने के पानी की बोतल से पानी लेकर एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी विशाल कुमार की शर्ट की जेब को उलटावाया जाकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क एस 1, एस 2 अंकित किया । शर्ट की जेब को सुखाकर उलटवाकर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को एक सफेद कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर मार्क-एस दिया गया। काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को श्री बबलेश कुमार कानि. 261 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। सहपरिवादी दीपक कुमार से प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटोप में लगाकर चालु कर आज वक्त लेनदेन हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो उक्त वार्ता डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड नही होकर डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई है, वार्ता से सहपरिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई है। तत्पश्चात आरोपी विशाल कुमार से परिवादिया के कार्य के संबंध में पूछा तो कहा कि इनका हाजरी रजिस्टर मेरे इस बेग मे रखा हुआ हैं, जिस पर स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार से बेग सें हाजरी रजिस्टर निकलवाकर चेक किया गया तो एक रजिस्टर सफेद रंग का जिस पर वार्ड 17 से. नं. 9 रायपुरा कोटा दक्षिण तथा वार्ड जमादार विशाल चौहान पु. सं. खाली हैं तथा महिला संख्या भी खाली हैं तथा वर्ष एवं नीचे 621 लिखा हुआ हैं, रजिस्टर के अन्दर खोलकर चेक किया तो उसमें प्रथम पृष्ठ के ऊपरी भाग पर बायीं तरफ रजिस्टर संख्या एवं उपस्थिती पंजिका एवं नीले रंग के पेन से वार्ड न. 17 से. नं. 9 रायपुरा कोटा दक्षिण, मध्य में कार्यालय नगर निगम कोटा (राजस्थान), विभाग के सामने खाली जगह एवं माह के सामने नीले रंग के पेन सें 06 अप्रेल 2024 सें 05 मई 2024 तक तथा दाहिनी तरफ पृष्ठ संख्या 623 कार्मिक शाखा लिखा हुआ है। उक्त रजिस्टर में कुल 16 व्यक्तियों के नाम अंकित हैं, उक्त नामों में प्रथम पृष्ठ पर क्रमांक 6 के सामने भूरी पत्नि स्व. कौशलराज लिखा हुआ हैं तथा सामने के सभी कॉलम पर दिनांक 6 से 28 तक की सुबह की सभी पर नीले रंग के पेन सें "पी"अंकित किया हुआ हैं तथा सांयकाल की उपस्थिती के सामने दिनांक 07,10,17,21,24 एवं 28 के सामने खाली छोड रखी है। आरोपी श्री विशाल कुमार सें श्रीमती भूरी की हाजरी के संबंध में पूछा तो बताया कि जिस दिनांक के सामने खाली जगह हैं उक्त दिनांक को रविवार एवं बुधवार हैं जिस दिन सभी कर्मचारी का आधा दिन का अवकाश रहता हैं इसलिए खाली छोड रखा हैं। उक्त रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 623 एवं 624 की सभी तीनों प्रतियों पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री विशाल कुमार की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री मोहन लाल से लिवाई गई तो उनके पहने हुये कपडो में एक भूरे रंग का पर्स जिसमें पांच- पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000 रू. तथा एक आधार कार्ड व ड्राईविंग लाईसेंस एंव एक मोबाईल दो सिमवाला बरंग काला, ओप्पो कम्पनी का मिला। आरोपी विशाल कुमार ने कहा कि पिताजी अस्पताल में भर्ती है इसलिए उनके इलाज के लिए मै ये 5000 रू. भाई सें लेकर आया था। विशाल कुमार की जामातलाशी में मिले आधार कार्ड की छायाप्रति करवाकर शामिल फाईल किया गया तथा पर्स में मिले सभी सामान, 5000 रू. व मोबाईल को आरोपी के कहेनुसार उसके भाई बजरंग चौहान को सुपुर्द किये गये। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि श्रीमती भूरी की अनुपस्थिति का मेडीकल नहीं लगाकर अनुपस्थित के बदले उपस्थिती दिखाकर 300 रू. प्रतिदिन के हिसाब सें लेने के लिए कहा तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में 14 दिन की उपस्थिती दिखाने के बदले 4200 रू. की मांग करने एवं बाद में 4000 रू. देने के लिए कहने तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान 4000 रू. प्राप्त कर अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब में रखने, रिश्वत राशि आरोपी की शर्ट की जेब से बरामद होने, आरोपी विशाल कुमार के दाहिने एवं बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे के धोवन का रंग गुलाबी आने एव आरोपी की शर्ट की जेब का धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपी विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार, वार्ड नम्बर 17 नगर निगम, कोटा दक्षिण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री विशाल कुमार को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जावेगा

। इसके बाद समय 05.30 पी.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार एवं श्री मोहन लाल के समक्ष श्री विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार वार्ड नम्बर 17 नगर निगम कोटा दक्षिण, कोटा को, उसके एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार के मध्य दिनांक 24.04.2024 एवं 25.04.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुये मैमोरी कार्ड में तथा दिनांक 29.04.2024 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में आपकी आवाज का मिलान हेतु राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर सें परीक्षण करवाया जाना हैं जिसके लिए आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस नमूना आवाज दिया गया, जिस पर आरोपी विशाल कुमार ने अपने हस्तलेख मे लिखकर दिया कि ''मैं स्वेच्छा से अपनी आवाज का नमुना नहीं देना चाहता हूॅं।'' उक्त नोटिस को शामिल पत्रावली किया गया। फिर समय 05.50 पी.एम.पर स्वतत्रं गवाहान व परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी के समक्ष सहपरिवादी श्री दीपक कुमार एवं आरोपी विशाल कुमार के मध्य दिनांक 29.04.2024 को दौराने रिश्वत लेन-देन हुई वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाइस रिकार्डर में सहपरिवादी श्री दीपक कुमार द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। डिजिटल वाइस रिकार्डर में रिकॉर्ड उक्त वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में लिया जाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री नरेन्द्र सिंह हैड कॉनि. 140 से उक्त रिकॉर्ड वार्ता को लेपटॉप का स्पीकर चालु करवाकर स्वतंत्र गवाह श्री पंकज कुमार वन रक्षक व श्री मोहन लाल एवं परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार के समक्ष चलाकर सुना गया तो, उक्त वार्ता में सहपरिवादी श्री दीपक कुमार द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री विशाल कुमार, जमादार हाल वार्ड नम्बर 17 नगर निगम कोटा दक्षिण, कोटा की होना सुनकर पहचान कर बताया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 से कार्यालय के सरकारी लेपटोप से तैयार करवाई जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पी.. एम. पर आरोपी विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार, वार्ड नम्बर 17 नगर निगम, कोटा दक्षिण कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.45 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार के घटना स्थल का नजरी नक्षा मौका तैयार करने हेतु मय सरकारी वाहन जीप मय चालक श्री तंवर सिहं कानि चालक के ग्रामीण पुलिस लाईन रोड पुलिया के नीचे बोरखेडा कोटा के लिये रवाना हुआ। समय 07.15 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार मय सरकारी वाहन जीप मय चालक श्री तंवर सिहं कानि चालक के ग्रामीण पुलिस लाईन रोड पुलिया के नीचे बोरखेडा कोटा पंहुचा, जहां परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार की निशा देही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा मौका कसीद किया गया। बाद नक्शा मौका तैयार कर रवाना हो कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत पंचम कोटा शहर पंहुचा। समय 07.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 24.04.2024 को सहपरिवादी श्री दीपक कुमार एंव आरोपी श्री विशाल के मध्य हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें सहपरिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB micro SDHC 1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 240424_0606 जो 56,537 KB की तथा कुल समय 40 मिनट 12 सैकिण्ड की, दिनांक 25.04.2024 को सहपरिवादी श्री दीपक कुमार एंव आरोपी श्री विशाल के मध्य हुई रिष्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें सहपरिवादी द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB micro SDHC 1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 240425_0623 जो 38,559 KB की तथा कुल समय 27 मिनट 24 सैकिण्ड की तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड दिनांक 29.04.2024 को सहपरिवादी श्री दीपक कुमार एवं आरोपी विशाल कुमार के मध्य वक्त रिष्वत राषि लेन-देन हुई वार्ता की फाईल 240429_1426, जो 15,297 KB समय 10 मिनट 52 सेकिण्ड की हैं। उक्त वार्ताओं को श्री नरेन्द्र सिह हैड कानि0 140 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड व डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से कॉपी कर लेपटाप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ को Sandisk Cruzer Blade USB 2.0 Flash Drive 32 GB के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज कार्यवाही के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra 32 GB micro SDHC 1 को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे अनसील्ड रखा गया। फर्द डबिगं व जप्ती पेन ड्राईव मय मैमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 08.10 पी.एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार एवं श्री मोहन लाल मय परिवादिया श्रीमती भूरी एवं सहपरिवादी श्री दीपक कुमार, हमराह एसीबी जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा

आरोपी श्री विशाल कुमार जमादार मय जब्तषुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, आरोपी की पहनी हुई शर्ट का शील्डशुदा पैकिट, बरामदशुदा रिश्वती राशी 4,000/-रूपये मय लिफाफा, जब्तशुदा उपस्थिति पंजिका, ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं आरोपी की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 20 एसयू 8708 मय बैंग कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत पंचम् कोटा शहर से कार्यालय हाजा के लिये रवाना हुआ। समय 08.30 पी. एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार एवं श्री मोहन लाल मय हमराह एसीबी जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री विशाल कुमार जमादार मय जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, आरोपी की पहनी हुई शर्ट का शील्डशुदा पैकिट, बरामदशुदा रिश्वती राशी 4,000/-रूपये मय लिफाफा, जब्तशुदा उपस्थिति पंजिका, ट्रेप बाक्स मय लेपटॉप प्रिन्टर एवं आरोपी की मोटर साईकिल कार्यालय वृत्ताधिकारी वृत पंचम् कोटा शहर से रवाना हो कार्यालय हाजा उपस्थित आया। जब्तशुदा आर्टिकल्स धोवन की शील्डशुदा 06 शीशीयां, शील्डशुदा 3 पेन ड्राईव, शील्डशुदा मैमोरी कार्ड, आरोपी की पहनी हुई शर्ट का शील्डशुदा पैकिट, बरामदशुदा रिश्वती राशी 4,000/-रूपये मय लिफाफा को मालखाना प्रभारी श्री बृजराज सिहं हैड कानि.144 को सुपूर्द किया गया। आरोपी की मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर नम्बर आरजे 20 एसयू 8708 को सुरक्षा की दृष्टि से कार्यालय में खडा करवाया गया तथा बैंग को सुरक्षित मालखाना में रखवाया गया। आरोपी की मोटरसाईकिल के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्राप्त कर आरोपी की मोटर साईकिल एवं बैंग को पृथक से आरोपी के परिजनों को सुपुर्द किया जावेगा। फिर समय 09.00 पी.एम.पर स्वतंत्र गवाहान श्री पंकज कुमार व श्री मोहन लाल एवं परिवादिया श्रीमती भूरी व सहपरिवादी श्री दीपक कुमार को बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के कार्यालय हाजा से सकुशल रूखसत किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादिया श्रीमती भूरी पत्नि स्व. श्री कौशलराज उम्र 35 साल निवासी एम-80 इन्द्रा गांधी नगर कोटा पिछले कुछ दिनों तबियत खराब होने के कारण सफाई कार्य के लिए उपस्थित नहीं होने, तबियत खराब होने एवं मेडीकल लगाने की सूचना आरोपी विशाल कुमार जमादार को देने पर भी जमादार विशाल द्वारा मेडीकल नहीं भरकर अनुपस्थित के दिन की हाजिरी लगाने की एवज में सहपरिवादी श्री दीपक कुमार से प्रतिदिन के हिसाब से 14 दिन के 300 रू. के हिसाब से 4200/-रूपये की मांग कर 4000/-रूपये देने की कहने, वक्त रिश्वत लेने-देन सहपरिवादी से 4000/-रूपये गृहण करने, रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई शर्ट की जेब से बरामद होने, आरोपी के दाहिने एवं बांये हाथ तथा पहनी हुई शर्ट की जेब का धोवन का रगं गुलाबी आने, अपनी आवाज का नमूना देने से लिखित में मना करने, फर्द रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द रिश्वत लेन-देन वार्ता आदि से आरोपी विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार, वार्ड नम्बर 17 नगर निगम, कोटा दक्षिण कोटा का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री विशाल कुमार को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। अतः आरोपी विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप जाति मेहतर उम्र 30 साल निवासी- कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार, वार्ड नम्बर 17 नगर निगम, कोटा दक्षिण कोटा के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है। (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा.....कार्यवाही पुलिस.... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री विशाल कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी कोटडी पुलिस चौकी के पास, कोटा हाल जमादार (सफाई कर्मचारी) , वार्ड नम्बर 17, नगर नगम कोटा दक्षिण, कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त धारा में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री राजपाल सिहं तंवर, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ग्रामीण को सुपुर्द कर नियमानुसार जारी की गई। उक्त की रोजनामचा आम रपट 394 पर अंकित है। (विशनाराम) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर। क्रमांक 314-17 दिनांक 30.04.2024 प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2. आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण, कोटा। 3.उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा। 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJPAL SINGH TANWAR **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 30/04/2024 18:50:54

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Vishanaram
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Female	13/06/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है ।)